मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्र. सी/6-5/2006/3/1 भोपाल, दिनांक 16 नवम्बर 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—शासकीय सेवा में आने के लिये गलत जानकारी दी जाने व तथ्यों को छुपाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही.

राज्य शासन के भर्ती नियमों में उल्लिखित प्रावधान अनुसार निर्धारित योग्यता प्राप्त व्यतियों का चयन शासकीय सेवा के लिये किया जाता है. ऐसे शासकीय सेवकों के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, इत्यादि लागू होते हैं.

2. शासकीय सेवकों के चयन के समय ही पुलिस चरित्र सत्यापन इत्यादि द्वारा यदि पुष्टि कर ली जाती है कि सेवा में आने वाला व्यक्ति सेवा के लिये अर्ह है. इसके बावजूद कोई व्यक्ति यदि गलत जानकारी प्रस्तुत कर अथवा तथ्यों को छुपाकर शासकीय सेवा प्राप्त करने में सफल हो जाता है तो ऐसे तथ्य प्रकाश में आने पर उसके विरुद्ध म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अन्तर्गत त्वरित अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए मुख्य शास्ति अधिरोपित किये जाने की कार्यवाही तत्काल की जाये.

3. उपर्युक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करें.

हस्ता./-

(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.